प्रश्नोतर से संबंधित परिशिष्ट

परिशिष्ट 'पचास'

प्रश्न सं. [क्र. 4989]

[27/3/2018]

परिशिष्ट - ५५ (1)

अतारां. - 4989

(6)

कार्यालय जिला शिक्षा अधिकारी, जिला रीवा (म०प्र०)

क्रमांक/स्था./सहा० अध्या०/सेवा समा./2013/799 रीवा, दिनांक 2/8/13

:: आदेश ::

श्री श्रवण कुमार तिवारी सहा० अध्यापक, शास० प्राथ० पा० शाला चोखण्डी शाला संकुल केन्द्र शास० उ० मा० वि० बरहुला जिला रीवा के विरुद्ध शिकायत प्राप्त हुई था कि श्री तिवारी सहित 05 अन्य आरोपियों के विरुद्ध धारा 147, 148, 325, 326, 307, 149 एवं 506 बी भा० द० वि० के तहत अपराध पंजी बद्ध पुलिस द्वारा किया जा कर मान० न्यायालय में पेश किया गया था, जहां मान० न्यायाय० द्वारा प्रकरण क्रमांक 117/96 में सुनवाई करते हुये दिनांक 24 सितम्बर 1999 को निर्णय पारित करते हुये श्री तिवारी सहित 05 अन्य आरोपियों को धारा 147, 148 में डेढ वर्ष के कठोर कारावास तथा धारा 326, 149 भा० द० वि० के अपराध में तीन वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाई गई हैं।

प्राप्त शिकायत के आधार पर इस कार्या० के पत्र क्रमांक /स्था./एस.सी.एन./स.अ./13/ 491-492 रीवा दिनांक 26-4-13 द्वारा श्री तिवारी को कारण बताओ नोटिस जारी कर प्रतिवाद उत्तर चाहा गया था। तथा लेख किया गया था कि अपने जवाब के साथ अभिलेखो की प्रति भी संलग्न करें।

श्री तिवारी द्वारा दिनांक 16-5-13 को अपना प्रतिवाद उत्तर इस कार्या० को प्रस्तुत किया गया प्राप्त जवाब अवलोकन पश्चात समाधान कारक नही पाया गया, पुनः इस कार्या०के पत्र क्रमांक/स्था./13 570 रीवा दिनांक 17-5-13 से प्राचार्य बरहुला के माध्यम से श्री तिवारी से वांछित अभिलेख यथा- मान० उच्च० न्यायाय० में दायर याचिका की प्रति तथा मान्न० न्यायाय० द्वारा पारित स्थगन की प्रति की मांग की गई थी। श्री तिवारी द्वारा उक्त अभिलेख उपलब्ध कराने हेतु समय सीमा चाही गई थी अधोहस्ताक्षर कर्ता द्वारा मौखिक रूप से समय देते हुये अभिलेख उपलब्ध कराने को कहा गया।

श्री श्रवण कुमार तिवारी सहा० अध्या० द्वारा दिनांक 29-6-13 को मान० न्यायालय रीवा द्वारा पारित निर्णय के विरुद्ध मान० उच्च न्यायाय० जबलपुर में दायर अपील क्रमांक 2703/99 की प्रति एवं उक्त अपील में मान० न्यायाय० द्वारा पारित स्थगन (निर्णय) की दिनांक 09-10-2009 की प्रति प्रस्तुत की गई।

श्री तिवारी द्वारा प्रस्तुत मान० उच्च न्यायालय जबलपुर के स्थगन आदेश दिनांक 9.10.2009 को अवलोकन करने पर पाया गया कि मान० उच्च न्यायाय० जबलपुर द्वारा श्री तिवारी के निरुद्धता पर स्थगन दिया गया है न कि मान० न्यायाय० रीवा द्वारा पारित दण्डादेश पर।

श्री श्रवण कुमार तिवारी सहा० अध्या० के विरुद्ध मान० न्यायाय० पंचम अपर सत्र न्यायाधीश रीवा द्वारा, प्रकरण क्रमांक 117/96 में पारित निर्णय दिनांक 24-09-1999 में धारा 147, 148, में डेढ वर्ष के कठोर कारावास तथा धारा 326/149 भा० द० वि० के अपराध में तीन वर्ष के कठोर कारावास एवं दो सौ रुपये के अर्थ दण्ड से दण्डित किया गया हैं। श्री श्रवण कुमार तिवारी दिनांक 5-12-95 से दिनांक 24-1-96 तक न्यायिक हिरासत में भी रहे हैं, लेकिन श्री तिवारी

क्रमशः ...

अनुभाग अधिकारी
मध्यप्रदेश शासन,
स्कूल शिक्षा विभाग (शाखा-1),
मंत्रालय, भोपाल

Scanned by CamScanner

//2//

(2)

पूर्व पृष्ठ से लगातार :-

द्वारा न तो न्यायायिक हिरासत की सूचना विभाग को दी गई और न ही माननीय न्यायालय रीवा द्वारा पारित निर्णय की सूचना दी गई इस प्रकार श्री तिवारी द्वारा वास्तविक तथ्यों को छिपा कर शासकीय सेवा करते रहे तथा विभाग को उक्त जानकारी न होने के कारण समय पर विभागीय कार्यवाही नहीं की जा सकी।

माननीय न्यायालय रीवा द्वारा प्रकरण में सुनवाई करते हुये श्री तिवारी को दोष सिद्ध करते हुये उपरोक्त दण्डों से दण्डित किया गया। अतः प्रकरण में जांच कराने का कोई औचित्य नहीं है।

अतः श्री श्रवण कुमार तिवारी सहा. अध्या. शास. बालक प्राथ. शाला चौखण्डी संकुल प्राचार्य शा.उ.मा.वि. बरहुला जिला रीवा को वास्तविक तथ्यों को छिपाने एवं विभाग को धोखे में रख कर शासकीय सेवा करने एवं माननीय न्याया. रीवा द्वारा पारित निर्णय दिनांक 24-9-1999 में दोष सिद्ध करार करते हुये कारावास की सजा एवं आर्थिक दण्ड दिये जाने के आरोप में म.प्र. सिविल सेवा (वर्गीकरण नियंत्रण एवं अपील) नियम 1966 के नियम 10 (9) के तहत श्री श्रवण कुमार तिवारी सहा. अध्या. को शासकीय सेवा से पदच्युत (डिसमिस) किया जाता है। यह आदेश तत्काल प्रभाव से प्रभावशील होगा।

(यू. बी. पटेल)
जिला शिक्षा अधिकारी
जिला रीवा (म.प्र.)

पृ.क्र./सर्त./सहा. अध्या./सेवा समा./13/800 रीवा, दिनांक 2/8/13

प्रतिलिपि :-

1/ आयुक्त लोक शिक्षण संचालनालय, म.प्र. भोपाल।
2/ कलेक्टर जिला रीवा।
3/ मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत जिला रीवा।
4/ संयुक्त संचालक लोक शिक्षण रीवा संभाग रीवा।
5/ मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत जवा जिला रीवा।
6/ विकास खण्ड शिक्षा अधिकारी जवा अपने स्तर से संबंधीजन को उपलब्ध करायें।
7/ संकुल प्राचार्य शास. उ. मा. वि. बरहुला जिला रीवा उक्त आदेश की प्रविष्टि संबंधीजन के सेवा पुस्तिका में दर्ज करें एवं संबंधीजन को आदेश उपलब्ध करा कर पावती तत्काल इस कार्या. को भेजें।
8/ कार्या. स्था.-3
9/ संबंधीजन- श्री श्रवण कुमार तिवारी सहा. अध्यापक द्वारा संकुल प्राचार्य शास. उ. मा. वि. बरहुला जिला रीवा की ओर आवश्यक कार्यवाही हेतु

(यू. बी. पटेल)
जिला शिक्षा अधिकारी
जिला रीवा (म.प्र.)

अवर सचिव/अनुभाग अधिकारी
मध्यप्रदेश शासन,
स्कूल शिक्षा विभाग (शाखा-1),
मंत्रालय, भोपाल

Scanned by CamScanner

परिशिष्ट - दो

अनुभाग 4989

798	2/8/13	कार्यालयीन प्रतीक्षा कक्ष प्रभारी	शु.आ. के शिवपुरा के [illegible] छा.छात्रावास के पत्र में [illegible] जानकारी उपलब्ध कराने बावत आवेदक श्री अनन्त त्रिपाठी हेड० शिक्षक-बाण शिवा
799	2/8/13	कार्यालयीन आदेश	श्री अवध कुमार तिवारी प्र.अ. शा. उच्च. बा. शाला चौखड़ी (संकुल शा. उ. मा. वि. बरहुला) को सेवा से पदच्युत करने बावत
800	प्रतिलिपि	(1) आयुक्त लोक शिक्षण हेतु भोपाल (2) कलेक्टर जिला रीवा (3) कुल कार्यपालन अधिकारी जिपं. रीवा (4) जे.डी. रीवा (5) C.E.O. जनपद पंचा. जवा (6) बी.ई.ओ. जवा (7) संकुल प्राचार्य शा.उ.मा.वि. बरहुला (8) कार्या. स्था.-3 (9) संबंधित - श्री अवध कुमार तिवारी प्र.अ. द्वारा संकुल प्राचार्य बरहुला	
801	2/8/13	(1) प्राचार्य शा. उत्कृ. उ. मा. वि. सिरमौर जिला रीवा (2) प्राचार्य शा. कन्या उ. मा. वि. त्योंथर जिला रीवा	श्री धर्मपाल प्रजापति प्राचार्य शा. कन्या उ.मा.वि. चाकघाट जिला रीवा के विरुद्ध प्राप्त शिकायत की जाँच कर संयुक्त रूप से स्वतः प्रतिवेदन देने बावत
802	2/8/13	प्राचार्य शा. क. उ. मा. वि. पन. के. रीवा (प्र.भा.)	शा. उ. मा. वि. [illegible] में ~~[illegible]~~ स्थानीय पदस्थ शिक्षक श्री रामकिंकर मिश्र के उपलब्ध प्राथमिक शाला स. प्रबंध समिति के अध्यक्ष के पिता द्वारा गाली गलौज अभद्रता एवं विद्यालय की दीवारों [illegible] [illegible] [illegible]
[illegible]	2/[illegible]	प्राचार्य [illegible] उ. मा. वि. [illegible]	[illegible]

|| 2018 |

अनुभाग अधिकारी
मध्यप्रदेश शासन,
स्कूल शिक्षा विभाग (शाखा-1),
मंत्रालय, भोपाल